

2402

July 23, 1906



Affidavit no 401 & 402 dated 13/11/06



25000 5650

fee Paid

A 1410

54.00

1464

Law
Rf

2.50

.92

3.42

1467

13.11.06
13.11.06



नियम २१ के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य के अधीन
 भारतीय न्यायिक प्रणाली के अन्तर्गत
 १ नं० संख्या
 (या स्टाम्प शुल्क से विमुक्त है)

MR
13/11/06

निबंधन पं. 13/11/06
 (झारखण्ड)

MR
13/11/06

अभिज्ञान के साथ किया

नाम मोकीर - मसोमात माधुरी देवी पति स्व० तिलकधारी राम
 जात कुम्हार पेशा खेती साकिन सोबरनटोली लोहरदगा थाना वो
 जिला लोहरदगा झारखण्ड राज्य भारतीय।

नाम मोकिर अलैह : श्री प्रदीप कुमार पिता स्व० तिलकधारी राम
 जात कुम्हार पेशा गृहस्ती साकिन सोबरनटोली कालेज रोड
 लोहरदगा थाना वो जिला लोहरदगा झारखण्ड राज्य भारतीय
 नागरिक।



Braj Kishor Sahu

Advocate

राधा (पुत्री)
 लोहरदगा सा.
 प्रदीप कुमार लोहरदगा
 13.11.06

500Rs.



किसीम वसीका : केवाला बैला कलामी (Sale Deed)


तायदाद रुपैया : मो 1,41,000 / - एक लाख
इकतालीस हजार रू० मात्र।

तफसील जमीन : मवाजी 5 डिसमिल (पांच डिसमिल) जमीन टांड
हकियत रैयती कायमी खाता न० 345 नामें सोबरनटोली टांड सा०
प्लाट न० 828 बिक्री रकबा 5 डिसमिल जिसका नाप उत्तर जानिब
पुरब पश्चिम 25 फीट दखिन जानिब पुरब पश्चिम 25 फीट पुरब
जानिब उत्तर दखिन 93 फीट पश्चिम जानिब उत्तर दखिन 90 फीट
ब- मौजिब मैप जो साथ केवाला के नथी है जिस पर बिक्री रकबा
लाल रंग से दिखलाया गया है । जिसके उत्तर नीज दखिन कालेज
रोड पुरब बन्नु महतो पश्चिम चमर महतो वाके मौजा लोहरदगा थाना
लोहरदगा थाना न० 194 जिला लोहरदगा मुतलके कंलक्टरी वो डि०
रजिस्टार वो डि० सब रजिस्टार लोहरदगा जो बजरिये खरीदगी तारीख
16.8.1973 दस्तावेज न० 2894 सन् 1973 ई० जिसका बुक न०
1 भौलूम 4 पेज 540 से 543 तरफ से निरंजन दास के मन
मोकिरा को हासिल है जिस पर मन मोकिरा हकदार वो दखलकार
चली आती है जो हर तरह से पाक वो साफ है अन्दर जमीन्दारी
झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल अधिकारी लोहरदगा के वाके है ।

Handwritten notes in Hindi: 'सब मालिक हूँ' and '13.10.06'.



Handwritten notes in Hindi: 'Khalid Yusuf', '80 M. Yusuf', 'Conv. Rnd. at Lohardaga', and '13.10.06'.



Braj Kishor Sahu
Advocate

50 RS.




रोज से उपरोक्त जमीन पर मोकीर अलैह मजकुर को काबीज दखलकार किया चाहिए कि मोकीर अलैह मजकुर मै उनके वारिसान उपर सै जमीन पर काबीज दखलकार होकर वो रह कर प्लाट मजकुर पर कच्चा पक्का मकान बनावें चहारदिवारी दें या कुंआ खोदावें या जैसा पसन्द हो करे वो आज के बाद जो कुछ के हक हकुक आज के रोज से मनमोकीर हुआ वो होगा अब आज के तारीख से किसी किसीम का हक दावी दावा वास्ता या सरोकार उपर से जमीन पर मनमोकीर या वरिसान के बाकी नही रहा वो न ही आइन्दे होगा जो कुछ के हक दावी दावा वास्ता या सरोकार उपर सै जमीन पर मन मोकीर वो वरिसान के था या आइन्दे होता सो सब कुल हक हकुक बजिन्सहू आज के तारीख से खरीददार मजकुर मै उनके वारिसान का हुआ वो होगा वो सै बिक्री जमीन का माल सलाने जमीन्दार मौजा मजकुर को देकर रसीद अपने नाम से हासिल कर लिया करे वो दाखिल खारीज वगैरह करा लेवे कोई उजुर न होगा इस वास्ते हम अपने खुशी से कुल रुपया नगद ले कर केवाला बैला कलामी लिख दिया के वक्त पर काम आवे ।

सहायक न्यायिक अधिकारी
13/11/06



तारीख 13 माह नवम्बर सन् 2006 ई०



Braj Kishor Sahu

Advocate

50 Rs.



कातिब कुमार चन्द्रशेखर अधिवक्ता लोहरदगा।
मजमून पढ कर मोकिर को सुवा वो समझा दिया।
प्रमाणित किया जाता है कि मूल दरनावेज वो द्वितीय प्रति दोनों एक दुसरे की हू
ब हू सच्ची प्रतिलिपि है।

यह मजमून पढ कर
मोकिर को सुवा
13.10.06




Misled
Kumar
12/11/06



कुमार
13.10.06

Certified that the finger prints of the left hand of each person
whose photographs is affixed in the document have been
obtained before me.

कुमार चन्द्रशेखर
अधिवक्ता



Braj Kishor Sahu
Advocate
12/11/06

50 Rs.



जिसका माल सलाने मो० 50 पैसा है जिसपर मकान निर्मित नहीं है
। जमीन मकान बनाने योग्य अन्दर नगरपालिका लोहरदगा वार्ड न०
11 मुहल्ला सोबरनटोली कालेज रोड जो मुख्य पथ पर स्थित है ।
जमीन का विवरण


खाता न०	प्लॉट न०	रकबा
345	828	5 डि०

Handwritten notes: 13-10-06, 100-200-1111112

घोषित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि खतियान के अनुसार सरकारी नहीं है और ना सरकार के द्वारा अधिग्रहण ही किया गया है घोषित करते है कि प्रसांगिक भूमि भूदान , भू हदबन्दी, लीज तथा भू बन्दोबस्ती की नहीं है यह भूमि खनन एवं वन सीमा से बाहर है तथा घोषित किया जाता है कि यह भूमि मठ ,मन्दिर, गिरजा,मस्जिद, सरना तथा गुरुद्वारा का नहीं है स्पष्ट किया जाता है कि प्रसांगिक भूमि की बिक्री पूर्व में नहीं की गई है यह भी घोषित किया जाता है कि उपरोक्त जमीन आदिवासी खाता की जमीन नहीं है ।



आगे मन मोकीर मोकीर अलैह मजकुर से मो० 1,41,000/ एक लाख इकतालीस हजार रुपया लेकर जमीन मजकुरे वाला के साथ बेचा वो बैला कलामी किया वो आज के



Braj Kishor Sahu
Advocate